सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6416/MH/33/2025-RU-I

दिनांक: 27.04.2026

मुख्य सचिव,
महाराष्ट्र शासन,
सीएस कार्यालय,मुख्य भवन,
मंत्रालय, 6वीं मंजिल, मैडम कामा रोड,
मुंबई, महाराष्ट्र- 400032
ई-मेल: chiefsecretary@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-नांदेड़,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
वजीराबाद, नांदेड़, महाराष्ट्र-431601
ई-मेल: sp.nanded@mahapolice.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-यवतमाल,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सिविल लाइंस,
यवतमाल, महाराष्ट्र-445001
ई-मेल: sp.yavatmal@mahapolice.gov.in

जिला कलेक्टर,
जिला- नांदेड़,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
बीएसएनएल कार्यालय के पास,
वजीराबाद, नांदेड़ – 431601, महाराष्ट्र,
ई-मेल: collector.nanded@maharashtra.gov.in

जिला कलेक्टर,
जिला-यवतमाल,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
यवतमाल-445001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.yavatmal@maharashtra.gov.in

विषय: पैनगंगा प्रकल्प के चिमटा बांध (धरण) के निर्माण को तत्काल रोकने एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र के 43 आदिवासी गाँवों के विस्थापन के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु श्रीनिवास अशोक उईके, आदिवासी कार्यकर्ता, निवासी ग्राम-झापरवाडी, पोस्ट-उमरी (कापा) तालुका-आर्णी, जिला-यवतमाल, महाराष्ट्र का दिनांक 16.11.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 20.04.2026** को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीनिवास अशोक उईके,
आदिवासी कार्यकर्ता,
निवासी ग्राम-झापरवाडी,
पोस्ट-उमरी (कापा), तालुका-आर्णी,
जिला-यवतमाल, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-6416/MH/33/2025-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

पैनगंगा प्रकल्प के चिमटा बांध (धरण) के निर्माण को तत्काल रोकने एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र के 43 आदिवासी गाँवों के विस्थापन के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु श्रीनिवास अशोक उईके, आदिवासी कार्यकर्ता, निवासी ग्राम झापरवाडी, तालुका आर्णी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र का अभ्यावेदन के संदर्भ में दिनांक 20.04.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 20.04.2026
अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री श्रीनिवास अशोक उईके, आदिवासी कार्यकर्ता, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से दिनांक 18.11.2025 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने निम्न-पैनगंगा बांध परियोजना (Lower Painganga Project) के संबंध में गंभीर आपत्तियाँ एवं शिकायतें प्रस्तुत की हैं। अभ्यावेदन के अनुसार उक्त परियोजना विदर्भ (जिला यवतमाल) एवं मराठवाड़ा (जिला नांदेड़) के घाटंजी एवं किनवट तालुकों में प्रस्तावित है, जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र (Fifth Schedule Area) के अंतर्गत आता है। इस परियोजना के कारण लगभग 46 गाँव पूर्णतः विस्थापित होने वाले हैं तथा अनेक अन्य गाँवों की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, जिनमें मुख्यतः गोंड, कोरकू, कोलाम एवं अंध जैसी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि परियोजना के क्रियान्वयन में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA), वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA), तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ग्राम सभाओं से विधिवत सहमति प्राप्त नहीं की गई, वन अधिकार दावों का निस्तारण लंबित है तथा सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों में भी पारदर्शिता का अभाव बताया गया है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण में संबंधित प्राधिकरण से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला कलेक्टर, यवतमाल द्वारा दिनांक 14.01.2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का बिंदुवार खंडन किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि परियोजना का क्रियान्वयन प्रचलित कानूनों एवं नियमों के अनुरूप किया जा रहा है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

दिनांक 23.02.2026 को आयोजित पूर्व सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा विस्तृत अनुशंसाएँ की गई थीं, जिनमें प्रमुख रूप से पेसा अधिनियम, 1996, वन अधिकार अधिनियम, 2006, तथा RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने, परियोजना [illegible] औपचारिकताओं के

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

पूर्ण होने तक स्थगित रखने तथा संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

6. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.04.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस जिला कलेक्टर, नांदेड़ (महाराष्ट्र)के प्रतिनिधि श्री रोहित कर्डिले उनके साथ संबंधित कार्यालय के अन्य प्रतिनिधि अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नांदेड़ (महाराष्ट्र) की ओर से श्री किरण एच. भांडवे, उप पुलिस अधिकारी (SDPO, माहूर), जिला कलेक्टर, यवतमाल (महाराष्ट्र) की ओर से श्री विमल मीना, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, यवतमाल (महाराष्ट्र) की ओर से श्री जे. डी. ताले तथा श्री रोबिन बंसोड (अमरावती) और श्री पी. आर. पाटिल (SE, VIPC), तथा याचिकाकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में उपस्थित प्राधिकारी तथा याचिकाकर्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस अधीक्षक, नांदेड़ के अनुसार लोअर पैनगंगा (चिमटा बांध) परियोजना से 33 गांव प्रभावित हैं तथा कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। पूर्व में परियोजना के विरोध में कुछ घटनाएं एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे, जिन पर विधिक कार्रवाई की गई। वर्ष 2025-26 में ग्रामीणों द्वारा मुआवजा एवं पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलन/भूख हड़ताल की गई, जिन्हें प्रशासन द्वारा आश्वासन देने के बाद शांतिपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा किसी प्रकार की समस्या की संभावना नहीं है। पुलिस अधीक्षक की ओर से उपविभागीय पुलिस अधिकारी, माहूर को आयोग की सुनवाई में प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया है।

प्राधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना विशेष रूप से आदिवासी कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसके माध्यम से पेयजल, औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे सूखा-प्रभावित क्षेत्रों से राहत मिलेगी तथा आदिवासी समुदाय को कृषि मौसम जैसे खरीफ एवं रबी में विशेष लाभ प्राप्त होगा।

हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में असंतोष व्यक्त करते हुए बताया गया है कि वर्तमान में निर्माण कार्य जारी है तथा ब्लास्टिंग (विस्फोट) जैसी गतिविधियाँ की जा रही हैं।

7. दिनांक 20.04.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की <u>अनुशंसाएँ</u>:

माननीय आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्देशों तथा संबंधित जिलाधिकारियों एवं राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों/स्पष्टीकरणों का परीक्षण करने उपरांत, यह अभिलक्षित हुआ है कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी प्रकार की अनियमितता अथवा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का स्पष्ट प्रमाण स्थापित नहीं होता है, अतः इस संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। यह भी अभिलक्षित होता है कि वर्तमान में प्रचलित निर्माण कार्य केवल ऐसी भूमि पर किए जा रहे हैं, जो संबंधित व्यक्तियों की सहमति से विधिवत अधिग्रहित की गई है, तथा कार्यवाही किसी प्रकार के दबाव, भय अथवा अनुचित प्रभाव के बिना की जा रही है। तदनुसार, पूर्व में निर्गत अनुशंसाएँ निरस्त की जाती हैं। प्रकरण के सम्यक् परीक्षण के आधार पर, निम्नलिखित संशोधित अनुशंसाएँ जारी की जाती हैं, जिनका अनुपालन संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

अनुशंसा क्र.1

यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना से संबंधित समस्त कार्यवाही पेसा अधिनियम, १९९६, वन अधिकार अधिनियम, २००६ एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ के अनुरूप की जाए। संबंधित जिलाधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास

अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

एवं ग्राम सभा कार्यवाही की प्रगति का समेकित एवं अद्यतन प्रतिवेदन नियमित रूप से तैयार किया जाए।

अनुशंसा क्र. 2

वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार दावों की स्थिति जिला प्रशासन द्वारा अद्यतन रूप से अभिलिखित रखी जाए तथा लंबित अथवा नवोद्भूत दावों का विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अनुशंसा क्र. 3

भूमि अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण तथा पुनर्वास संबंधी समस्त कार्यवाही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास अधिनियम, २०१३ के अनुरूप संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा समयबद्ध रूप से संपादित की जाए तथा प्रभावित व्यक्तियों को देय लाभ प्रदान किए जाएँ। साथ ही, प्रत्यक्ष क्रय के प्रकरणों के अनुरूप २५% अतिरिक्त लाभ समतुल्य रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुशंसा क्र. 4

यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक पुनर्वास एवं पुनस्थापन पूर्ण किए बिना प्रभावित ग्रामों को किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति, विशेषतः जलमग्नता, का सामना न करना पड़े तथा इस संबंध में राज्य शासन के प्रचलित शासन निर्णयों एवं नीतियों का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पूर्ण किए बिना जल का संचयन किया जाता है, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत एवं कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अनुशंसा क्र. 5

जिन ग्रामों में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास संबंधी आपत्तियाँ अथवा विरोधात्मक प्रस्ताव पारित किए गए है, वहाँ जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा संवाद एवं समस्याओं के निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व, स्वतंत्र एवं सूचित सहमति पेसा अधिनियम, १९९६, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास अधिनियम, २०१३ की धारा ४१ (३) तथा महाराष्ट्र पेसा नियम, २०१४ के नियम २६ के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा समयबद्ध रूप से प्राप्त की जाए तथा ग्राम सभा कार्यवाही का विधिवत अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए।

अनुशंसा क्र. 6

जिन ग्रामों द्वारा परियोजना के समर्थन में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, वहाँ परिवार सर्वेक्षण, संयुक्त मापन एवं पुनर्वास स्थल चयन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। जिन ग्रामों में पुनर्वास स्थल चयन लंबित है, वहाँ महाराष्ट्र पेसा नियम, २०१४ के नियम २६ के अनुरूप संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर विधिवत एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

अनुशंसा क्र. 7

प्रभावित अनुसूचित जनजाति परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन को 'सर्वोत्तम पुनर्वास मॉडल' के रूप में विकसित किया जाए तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास अधिनियम, २०१३ की अनुसूची-II एवं अनुसूची-III के अंतर्गत देय समस्त लाभओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। पुनर्वास स्थलों पर आवश्यक मूलभूत

अर्जुन सिंह आर्य/Arjun Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

अधोसंरचना, जैसे आंतरिक सीमेंट कंक्रीट सड़के, पहुंच मार्ग, जल निकासी, पेयजल एवं विद्युत सुविधाएँ विकसित की जाएँ तथा आदिवासी समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जाएँ। राज्य शासन द्वारा इस हेतु एकरूप मानक कार्यप्रणाली निर्धारित की जाए।

अनुशंसा क्र. 8

परियोजना के महत्व एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए, स्वीकृत क्षेत्रों में प्रचलित कार्यों को आवश्यक वैधानिक प्रावधानों के अधीन निरंतर आगे बढ़ाया जाए तथा बांध निर्माण कार्य जारी रखे जाएँ, किन्तु पुनर्वास एवं पुनस्थापन पूर्ण किए बिना जल का संचयन न किया जाए। साथ ही, जिला प्रशासन, परियोजना यंत्रणा एवं पुलिस प्रशासन द्वारा समुचित समन्वय बनाए रखते हुए विधि-व्यवस्था, संवाद एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक समन्वय स्थापित कर परियोजना कार्यों का निर्बाध एवं सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

अनुशंसा क्र. 9

यह सुनिश्चित किया जाए कि पेसा क्षेत्र के ग्रामों को परियोजना के लाभ प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रदान किए जाएँ तथा प्रभावित भूमि के अनुपात में समतुल्य एवं न्यायसंगत लाभउपलब्ध कराए जाएँ, जिससे अनुसूचित जनजाति समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही, कालवा एवं उपसा सिंचन योजनाओं के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल आरंभ कर समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए, ताकि सिंचन हेतु जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

अनुशंसा क्र. 10

परियोजना में विलंब से राज्यों को हो रही वित्तीय एवं सामाजिक हानि को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य शासन द्वारा पर्याप्त, नियमित एवं प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि विशेषतः पेसा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाभ समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जा सके।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं.: NCST/DEV-6416/MH/33/2025-RU-I

दिनांक: 20.04.2026

विषय: पैनगंगा प्रकल्प के चिमटा बांध के निर्माण को रोकने एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र के 43 आदिवासी गाँवों के विस्थापन के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु श्रीनिवास अशोक उईके से प्राप्त दिनांक 16.11.2025 के अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 20.04.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
5.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

जिला कलेक्टर, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Rahul Kardile	Collector	9552041375	[signature]
2	Param Janeja	Executive Engineer	9049297772	[signature]
3	Suraj Rathod	Ex. Engr	8888344299	[signature]
4				

पुलिस अधीक्षक, जिला-नांदेड़, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	किरण ह. भोंडवे	SDPO. MAHUR	7738005961	[signature]
2				
3				
4				

जिला कलेक्टर, जिला-यवतमाल, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	विकास मीना	Collector यवतमाल	8547494462	[signature]
2				

पुलिस अधीक्षक, जिला-यवतमाल, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	रॉबिन बंसल	SDPO पांढरकवडा	95920-56120	Robin Bansal [signature]
2.	J. D. Tale	CE, WRD Amaravati	9890625370	[signature]
3.	P. R. Patil	SE YIPC Yavatmal	7058465978	[signature]